

Duplicate Copy  
13-Dec-2021

## आदेश

तिथि

Nov 24  
2021

आदेश पर की गई  
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदानुसार आवेदित जमीन मौजा सलौनाटाड़ थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
50/new/4	TPP 282/A	0 एकड़, 3.298 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI BIDYANAND JHA	पिता	LATE NAKUL NARAYAN JHA
SRI SANJAY KUMAR JHA	पिता	SRI BIDYANAND JHA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 865 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
shila jha	पति	vidyanand jha

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हेतु आवेदित भूमि पर आवेदक निबंधित दलील संख्या 865 दिनांक- 24/09/2021 द्वारा क्रय कर हाता के रूप दखलकार है अतः दखल एवं दलील के आधार पर नामांतरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निबंधित दलील संख्या 865 दिनांक- 24/09/2021 एवं दखल के आधार पर नामान्तरण वाद स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतः अपीलिय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 50 रूपये  
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण  
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
MOTI LAL HEMBROM  
अंचलाधिकारी देवघर

Lely Arya